राज्यसभा

अतारांकित प्रश्नसंख्या 453

27 अप्रैल, 2016 को उत्त र के लिए

घरेलू इस्पात विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करना

453. श्री देवेंदर गौड टी. :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लंबे और सपाट इस्पात उत्पादों पर अभी हाल ही में बढ़ाए गए आयात शुल्क से घरेलू इस्पात क्षेत्र को किस सीमा तक सहायता मिलेगी;

(ख) आयात शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने से चीन द्वारा पाटन में कितनी कमी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व बाजार में कम मांग और चीन में अत्यधिक क्षमता के दृष्टिगत यह पूरी संभावना है कि चीन अपने मूल्यों में और कमी कर सकता है; और

(घ) मंत्रालय ऐसे परिदृश्य में किस प्रकार घरेलू इस्पात विनिर्माताओं का संरक्षण करने की योजना बना रहा है?

उत्तघर

इस्पानत और खान राज्यी मंत्री (श्री विष्णुन देव साय)

(क): देश में आयातों को नियंत्रित करने के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि करना एक आधारभूत हथियार होता है। उपलब्धश सूचना के अनुसार विभिन्न इस्पापत मदों की कीमतें हाल ही के महिनों में कुछ सीमा तक रिकवर कर ली गई है और यह प्रत्या शा है कि घरेलू इस्पा्त क्षेत्र की वित्तीभय स्थिति सुधर जायेगी। यह प्रत्यारशा की जाती है कि बड़े एकीकृत इस्पाैत संयंत्रों को लूटमार कीमतों पर भारत में एकत्र किये जा रहे सस्तेा इस्पाजत उत्पाकदों से कुछ राहत मिलेगी।

(ख): चीन की भावी कार्रवाई का अनुमान लगाना मुश्किल है।

(ग): ऐसी सम्भाववना से इन्का र नहीं किया जा सकता है।

(घ): सरकार द्वारा घरेलू इस्पा त उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए कई उपाय यथा बेसिक सीमा शुल्कस की उच्च दर में वृद्धि करना, इस्पासत उत्पालद गुणवत्ताि नियंत्रण आदेश 2012 और 2015 के तहत आयातित इस्पाीत मदों पर ठोस गुणवत्ताक नियंत्रण करना, न्यूनतम आयात शुल्कत (एमआईपी) लगाना, सेफगार्ड/ एण्टीद डम्पिंग शुल्कं लगाना इत्यातदि पहले ही किये जा चुके है। सरकार द्वारा इस दिशा में किसी कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, का निर्णय भावी मूल्यांकनों के आधार पर लिया जायेगा।

***